उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

शुक्रवार, 24 माघ, शक संवत् 1947

(13 फरवरी, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1/ग्यारह-2-26-9(42)-17-टी0सी0-76-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (368)-2026, दिनांक 25 जनवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

3-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2/ग्यारह-2-26-9(47)-17-टी0सी0-300-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (369)-2026, दिनांक 25 जनवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-27/ग्यारह-2-26-9(47)-17-टी0सी0-301-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (370)-2026, दिनांक 31 जनवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन-2022-23 (01-04-2022 से 31-03-2023) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 की उपधारा (4) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

6-माननीय नेता सदन, संसदीय कार्य अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2025 (दिनांक 19-12-2025 से दिनांक 24-12-2025 तक) में नियम-115 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान परिषद् प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1956 के नियम-115(4) के प्राविधानों के अनुसार सदन की मेज पर रखेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

7-श्री अशोक अग्रवाल, कार्यकारी सभापति, याचिका समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की याचिका समिति का वर्ष 2021 से 2026 का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

8-उच्च शिक्षा मंत्री, जनपद उन्नाव मुख्यालय पर निर्माणाधीन राजकीय बालिका महाविद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराकर महाविद्यालय का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-उच्च शिक्षा मंत्री, जनपद उन्नाव मुख्यालय पर निर्माणाधीन राजकीय बालिका महाविद्यालय भवन का निर्माण कराकर महाविद्यालय का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-सोनभद्र में ओबरा इण्टर कालेज, ओबरा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये शिक्षकों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

11-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा केन्द्र के लिये बनी नियमावली को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

12-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धारा-18 एवं 21 की व्यवस्थाओं को यथावत् अधिनियम रूप में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 में समाहित किये जाने एवं साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग-2023 अधिनियम की धारा-11(6) को विलुप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

13-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

14-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने वाली नई व्यवस्था (संशोधित नियमावली) में पुनः संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

15-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश में स्थापित तीन मण्डल क्रमशः देवीपाटन, चित्रकूट एवं अलीगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के पद सृजन किये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

16-पंचायती राज मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-गोला के अन्तर्गत ग्राम सभा-जनकपुर में एक बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त

महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17-मुख्य मंत्री, प्रदेश में साइबर क्राइम के अपराधियों से आम लोगों को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री विजय शिवहरे, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

18-मुख्य मंत्री, प्रदेश के समस्त शस्त्र-धारकों हेतु लाइसेंस नवीनीकरण की पुरानी व्यवस्था को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह व श्री साकेत मिश्रा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-पंचायती राज मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-बाकेगंज के ग्राम पंचायत-कस्बा अलीगंज व विकास खण्ड-मोहम्मदी के ग्राम पंचायत-पाल अभय कचनार फतूवाबाद गांवों में अविलम्ब अन्त्येष्टि स्थल/मुक्तिधाम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-पंचायती राज मंत्री, जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम सभा-भुम्मा, मजरा-नयागांव, तहसील-जानसठ में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अश्विनी त्यागी व श्रीमती वन्दना वर्मा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-जल शक्ति मंत्री, जनपद-उन्नाव में संचालित राजकीय नलकूपों को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-पंचायती राज मंत्री, जनपद-जालौन, विकास खण्ड-कुठौंद के ग्राम पंचायत-गोरा राठौर में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन व श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-पंचायती राज मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-कुम्बी के ग्राम-सिकन्द्राबाद में एक बारात घर/सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के मृतक रोजगार सेवकों के आश्रितों को नौकरी न दिये जाने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह व श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-जल शक्ति मंत्री, जनपद-मैनपुरी के ग्राम-नगला खुशाल अण्डनी में बम्बा पर सिंचाई विभाग से पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ओयल पुलिस चौकी को ओयल थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-पंचायती राज मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-लखीमपुर के ग्राम पंचायत-पेन्योरा के अन्तर्गत ग्राम-ढखवा में मरघट/अन्त्येष्टि स्थल का सौन्दर्यीकरण व समुचित व्यवस्थायें कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त महेश्वरी व श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

28-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों को अध्यापक पुरस्कार आवेदन में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

29-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-फतेहपुर के विकास खण्ड-हसवां के ग्राम पंचायत-एकारी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत

कराने के सम्बन्ध में श्री अविनाश सिंह चौहान व श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

30-पंचायती राज मंत्री, जनपद-देवरिया के विकास खण्ड-गौरी बाजार के ग्राम-अवधपुर में अवधपुर मुख्य मार्ग से मुन्ना प्रधान टोला होते हुये प्राइमरी स्कूल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व डा0 सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

31-उच्च शिक्षा मंत्री, जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में सन्त गोडगे जी महाराज महिला राजकीय महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र चौधरी व श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

32-मुख्य मंत्री, जनपद-वाराणसी के राजा तालाब तहसील के ब0आ0च0 वाद संख्या-0053/2021 श्री अमित कुमार बनाम श्री प्यारे लाल के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री बलराम यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

33-बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा संचालित पाठ्यक्रम डी0एल0एड0 के प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य व्यवस्थाओं में व्याप्त उदासीनता एवं लापरवाही के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

34-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एन0पी0एस0 योजना से ओ0पी0एस0 योजना में लिये गये शिक्षकों एवं कर्मचारियों की एन0पी0एस0 धनराशि जी0पी0एफ0 में जमा करने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

35-पंचायती राज मंत्री, जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-विरधा, ग्राम-कल्यानपुर में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन व श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य,

विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

36-उच्च शिक्षा मंत्री, जनपद-मुरादाबाद के लाइनपार क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त' व श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

37-उच्च शिक्षा मंत्री, जनपद-मुख्यालय महोबा में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत् छात्राओं की आवासीय सुविधा हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर व श्री रजनीकांत महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

38-उच्च शिक्षा मंत्री, प्रदेश में महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा पी0एच0डी0 छात्रों से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शुल्क के नाम पर वसूली गयी धनराशि को वापस कराने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

39-पंचायती राज मंत्री, जनपद-मैनपुरी के ग्राम-हाजीपुर सेमरी, पोस्ट-दिहुली, ब्लाक-बरनाहाल, तहसील-करहल की ग्राम पंचायत में प्रधान द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

40-पंचायती राज मंत्री, जनपद-जालौन, विकास खण्ड-कुठौंद के ग्राम पंचायत-तरसोल में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन व श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

41-पंचायती राज मंत्री, जनपद-मैनपुरी के ब्लाक व तहसील-किशनी के ग्राम-फरेंजी श्री अरविन्द कुमार चतुर्वेदी के मकान से श्री बाजीलाल कठेरिया के मकान तक की सड़क की मरम्मत/आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल व डा0 मानवेन्द्र प्रताप

सिंह 'गुरू जी', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

42-मुख्य मंत्री, जनपद-आजमगढ़ में स्मिथ इण्टर कालेज, अजमतगढ़ में परिचारक के पद पर कार्यरत श्री प्रतीक श्रीवास्तव पुत्र स्व0 ओम प्रकाश श्रीवास्तव के लापता होने की खोज-बीन कराने के सम्बन्ध में डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरू जी' व डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

43-पंचायती राज मंत्री, जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-बिरधा के ग्राम पंचायत-कल्यानपुर स्थित श्यामपुरा मजरा में धन सिंह के मकान से देवी जी मन्दिर तक लगभग 650 मीटर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

44-पंचायती राज मंत्री, जनपद-मऊ के विकास खण्ड-रतनपुरा, तहसील-सदर, ग्राम पंचायत-पिलखी वरूणा के निवासियों की ओर से श्री राम राजभर की दुकान से रवीन्द्र शर्मा के चक से होते हुये सड़क के पास नाले तक नाला निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विच्छेह लाल राम, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

45-मुख्य मंत्री, जनपद-अमरोहा के ग्राम-ढक्का, तहसील-सादात में ग्राम प्रधान के इशारे पर चल रही चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

46-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के एन0पी0एस0 खाते के रख-रखाव में अनियमितता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित करते हुये नियमित कटौती के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगी।

47-उपभोक्ता मामले मंत्री, लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 1993 एवं बाँट-माँप अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1993 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र

प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

48-जल शक्ति मंत्री, जनपद-कानपुर देहात के ग्राम-मुतैहरापुर, विकास खण्ड-मलासा में राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

49-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुमति याचिका (सी) नं0 (एस) 15682/2025, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम शिव कुमार शुक्ला व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16 जून, 2025 का पालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगी।

50-प्राविधिक शिक्षा मंत्री, प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों एवं प्राविधिक विश्वविद्यालयों में कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को शासनादेश में दी गयी व्यवस्था का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

51-पंचायती राज मंत्री, जनपद-अमेठी के पत्तियरिया सम्पर्क मार्ग किमी0-02 से राजस्व ग्राम-भेटुआ के मजरे पुरे बेनीराम सम्पर्क मार्ग तक लगभग 0.95 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य, देंगे।

52-पंचायती राज मंत्री, जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बिलौली बाजार में रामचन्द्र के घर से श्रीराम के घर तक लगभग 105 मीटर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

53-पंचायती राज मंत्री, जनपद-जालौन, विकास खण्ड-डकोर के क्षेत्र की ग्राम पंचायत-बिरगुवां के मजरा इकहरा में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

54-मुख्य मंत्री, जनपद-सहारनपुर के ग्राम-गंगोह रोड मानकमऊ के निवासी को भूमि खसरा नम्बर-18, रकबा-0.277 हेक्टेयर भूमि में से 1190 वर्ग मीटर यानि 0.119 हेक्टेयर वाके मौजा चक अबाबकपुर, परगना-फैजाबाद, तहसील-बेहट पर नसीमुद्दीन पुत्र नाजर, निवासी-रजापुर, थाना-मिर्जापुर पोल के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री पदमसेन चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

55-मुख्य मंत्री, जनपद-फतेहपुर की तहसील-फतेहपुर, ग्राम-कोर्रा कनक के किसानों की भूमि का सीमांकन कराकर उनको वापस दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

56-जल शक्ति मंत्री, जनपद-इटावा के सैफई क्षेत्र के अन्तर्गत भालासइया से भिड़रूआ होते हुये बम्बा पटरी के साथ जाने वाले मार्ग का डामरीकरण सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

57-पंचायती राज मंत्री, जनपद-मऊ के विकास खण्ड-रतनपुरा, तहसील-सदर, ग्राम पंचायत-गहना के निवासियों सूर्यभान यादव के घर से सुरेन्द्र राजभर के घर तक लगभग 800 मीटर पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विच्छे लाल राम, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

58-डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत शहीद भगत सिंह वार्ड, जोन-7, वन्दना विहार कालोनी, तकरोही, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

59-डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत कंचन बिहारी मार्ग, कंचन नगर, जोन-7, शंकरपुरवा प्रथम (वार्ड नम्बर-92), कल्याणपुर, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

60-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट-मैगलगंज, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से राजकीय महाविद्यालय का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध, में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

61-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-इटबहरा, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के निवासियों की ओर से चक मार्ग से अवैध कब्जे को हटाकर चक मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

62-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बरवा, पोस्ट-गोमाडिह, विकास खण्ड-ठेकमा, तहसील-लालगंज, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध, में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

63-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-लौदह इमादपुर, पोस्ट-दामा, विकास खण्ड-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

64-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-चुरारी, मजरा-पिपरोखर, विकास खण्ड-मऊरानीपुर, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

65-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-देवरीसिंहपुरा, विकास खण्ड-बंगरा,

जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

66-श्री राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत बीबीखेड़ा गोकुलग्राम, वार्ड नम्बर-20, हैदरगंज तृतीय वार्ड, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध, में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ञ')

67-श्री सत्य पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार जारी (चतुर्थ दिवस) :-

> ''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 09 फरवरी, 2026 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'ट')

लखनऊ :
शुक्रवार, 24 माघ, शक संवत् 1947
(13 फरवरी, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	29-1-2026
*2	29-1-2026
*3	29-1-2026
*4	29-1-2026
*5	30-1-2026
*6	31-1-2026
*7	31-1-2026
*8	31-1-2026
*9	31-1-2026
*10	31-1-2026
*11	31-1-2026
*12	31-1-2026
*13	31-1-2026
*14	31-1-2026
*15	31-1-2026
*16	31-1-2026
*17	31-1-2026
*18	31-1-2026

अतारांकित प्रश्न

1	29-1-2026
2	29-1-2026
3	29-1-2026
4	29-1-2026
5	29-1-2026
6	29-1-2026
7	29-1-2026
8	29-1-2026
9	29-1-2026
10	29-1-2026

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
11	29-1-2026
12	29-1-2026
13	29-1-2026
14	29-1-2026
15	29-1-2026
16	30-1-2026
17	30-1-2026
18	30-1-2026
19	30-1-2026
20	30-1-2026
21	31-1-2026
22	31-1-2026
23	31-1-2026
24	31-1-2026
25	31-1-2026
26	31-1-2026
27	31-1-2026
28	31-1-2026
29	31-1-2026
30	31-1-2026
31	31-1-2026
32	31-1-2026
33	31-1-2026
34	31-1-2026
35	31-1-2026
36	31-1-2026
37	31-1-2026
38	31-1-2026

नत्थी 'क'

शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1	*1-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों के यूनियन द्वारा दिनाँक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 01 जनवरी, 2026 के मध्य अपनी	बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

समस्याओं का समाधान कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को कितने पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पत्रों में वर्णित मुख्य समस्या क्या-क्या थी ?

(ख) क्या सरकार शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाये जाने पर भी विचार कर रही है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम की धारा-66(1) के अन्तर्गत पुरानी राजपत्रित संवर्ग/अराजपत्रित संवर्ग भर्ती/सेवा नियमावली के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — मुख्य मंत्री

*2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम की धारा-66 (1) के अन्तर्गत पुरानी राजपत्रित संवर्ग/अराजपत्रित संवर्ग भर्ती/सेवा नियमावली को समाप्त कर दिया गया है ?

(ख) क्या उसके पश्चात् सरकार द्वारा फायर विभाग हेतु वर्ष 2022 से अब तक कितनी सीधी भर्ती, पदोन्नति भर्ती एवं मृतक आश्रित भर्ती की गयी है ?

(ग) यदि भर्ती नहीं की गई, तो क्यों ?

(घ) नई भर्ती/सेवा नियमावली कब तक लागू करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के उत्पीड़न व शोषण की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 3 — बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*3-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षक दिवस दिनाँक 05 सितम्बर को प्रदेश के शिक्षकों को सम्मानित करने के आयोजन प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है ?

(ख) क्या इस दिन शिक्षकों के उत्पीड़न व शोषण की कार्यवाही करने का कोई निर्देश अधिकारियों को दिया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या है ?

(घ) क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूँ द्वारा दिनांक 05-09-2023 को सम्विलियन विद्यालय आरिफपुर नवादा विकास क्षेत्र जगत का आकस्मिक निरीक्षण किया गया ?

(ङ) क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अपने पत्रांकः बेसिक/ 10143-48/ 2023-24, दिनांक 05-09-2023 निरीक्षण आख्या द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वेतन अदेय करने का आदेश दिया गया ?

(च) यदि हाँ, तो बिना उत्तर लिये उसी दिन अपने पत्र संख्या- बेसिक/ 10180-88/ 2023-24, दिनांक 05-09-2023 को निलम्बित करने का कौन सा औचित्य है ?

नगर पंचायत सैंथल, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बरेली में नहर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 4	*4-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि नगर पंचायत सैंथल, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बरेली में नहर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो कब ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	जल शक्ति मंत्री

जनपद-सहारनपुर में पानी की टंकी को स्थापित करने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 5	*5-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सहारनपुर में पानी की टंकी को स्थापित करने के लिये कितने गांव प्रस्तावित थे ? (ख) कितने गांवों में उक्त कार्य पूर्ण हुआ है तथा कितने गांवों में अभी कार्य चल रहा है ? (ग) कितने गांवों में कार्य पूर्ण होने के बाद सड़कों की मरम्मत हुई है तथा बाकी में कब तक हो जायेगी ? (घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	जल शक्ति मंत्री

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भाँति सेवानिवृत्त होने पर 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 6	*6-(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भाँति सेवानिवृत्त होने पर 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान करायेंगे ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त लाभ कब तक प्रदान करायेंगे ?	उच्च शिक्षा मंत्री

शासनादेश दिनांक 09 जून, 2014 में विकल्प चुनने का अवसर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से विस्तारित करके शासनादेश तिथि दिनांक 09 जून, 2014 के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 7	*7-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शासनादेश दिनांक 09 जून, 2014 में विकल्प चुनने का अवसर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से विस्तारित करके शासनादेश निर्गत तिथि दिनांक 09 जून, 2014 किया जाएगा ? (ख) यदि नहीं, तो क्यों ?	बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवा शर्त, सेवा सुरक्षा, समयबद्ध वेतनमान एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्राप्त होने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 8	*8-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को कोई सेवा शर्त-सेवा सुरक्षा, समयबद्ध वेतनमान एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त कौन सी सुविधा प्रदान की गई है ? (ख) क्या अक्टूबर, 1986 से संचालित उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अधिवर्षता आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त और किस तरह की धनराशि प्रदान की जाती है ? (ग) यदि हाँ, तो क्या ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाकर उन्हें उचित मानदेय देने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 9	*9-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाकर उन्हें उचित मानदेय देने हेतु कोई कमेटी बनायी गई है ? (ख) यदि हाँ, तो उसकी पहली बैठक कब हुई ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बिना वेतन के शिक्षण कार्य करने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 10	*10-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बिना वेतन के शिक्षण कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या ऐसे वित्त विहीन विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की कोई नीति बनी है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में 70 से 80 प्रतिशत भगीदारी देने वाले माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 11

*11-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में 70 से 80 प्रतिशत भागीदारी देने वाले माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने पर विचार करायेंगे ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर में शिक्षकों को विगत पाँच वर्षों में प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 12

*12-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं का प्रोन्नत वेतनमान देय है ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) यदि देय है, तो जनपद-वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर में कितने शिक्षकों को विगत पाँच वर्षों में प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई है और कितने प्रकरण शेष हैं, विवरण सहित सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि जिन जनपदों में प्रोन्नत वेतनमान अभी तक नहीं दिये गये हैं, तो क्यों और कब से लम्बित हैं ?

उत्तर प्रदेश में वित्त विहीन शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 13

*13-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायेंगे ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद सहारनपुर के ब्लॉक-पुवाँरका के गाँव सम्भाल की शेख के प्राथमिक विद्यालय की मान्यता 8वीं तक करवाये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 14	*14-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सहारनपुर के ब्लॉक पुवाँरका के गांव सम्भाल की शेख के प्राथमिक विद्यालय में छात्र पाँचवीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, जिसके बाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिये या तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करना पड़ता है या किसी दूसरे गांवों में जाना पड़ता है ? (ख) क्या गांव के ही स्कूल की मान्यता 8वीं तक करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री के पत्र में उल्लिखित विभिन्न माँगों/समस्याओं के शीघ्र समाधान के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 15	*15-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री का पत्र दिनांक 11-06-2025, जो कि सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् को सम्बोधित एवं प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की विभिन्न माँगों/समस्याओं के शीघ्र समाधान के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कार्यवाही की मांग की गयी है ? (ग) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

जनपद सहारनपुर के पानसर से गाँव रीढ़ी, धुन्ना होते हुये ढमोला तक जाने वाले नाले की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 16	*16-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर के पानसर से गाँव रीढ़ी, धुन्ना होते हुए ढमोला तक जाने वाले नाले की सिल्ट सफाई न होने के कारण बरसात के दिनों में उससे काफी गांवों में जलभराव हो जाता है, जिससे बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है ?	जल शक्ति मंत्री

(ख) उसकी सफाई को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रमुख सचिव, राजस्व को सम्बोधित पत्र में उल्लिखित विषय पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 17 — मुख्य मंत्री

*17-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 जून, 2025, जो प्रमुख सचिव, राजस्व को सम्बोधित एवं सर्कुलर रोड, बिछिया कालोनी, जनपद गोरखपुर की कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा राजस्व अधिकारियों के षडयन्त्र से अरबों की जमीन हड़पने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर जाँच/कार्यवाही की मांग की गयी है ?

(ग) उक्त जाँच किस स्तर से करायी गयी एवं जाँचोपरान्त क्या निष्कर्ष निकले एवं उक्त जाँच पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-गाजीपुर के तहसील-सैदपुर, ग्राम-ध्रुवार्जुन में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 01 जनवरी, 2026 तक पैतृक भूमि का वरासत के आधार पर नामान्तरण के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 18 — मुख्य मंत्री

*18-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-ध्रुवार्जुन, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 01 जनवरी, 2026 तक कितने ग्रामीणों की पैतृक भूमि का वरासत के आधार पर नामान्तरण किया गया है ?

(ख) क्या ध्रुवार्जुन, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर में ही गुपेश राय, शिवम कुमार राय, माया राय एवं देवमुन्नी राय आदि का पैतृक भूमि को दोनों पुत्रों को वरासत 1/3, 1/3 एवं दोनों माताओं का 1/3 में ही अंश भाग दर्ज न करते हुए सम्बन्धित लेखपाल द्वारा त्रुटिवश गलत अंश भाग कर दिया गया है, जिस कारण ग्रामीणों को एवं पीड़ितों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक उक्त अंश भाग को सही कराते हुए उक्त पीड़ितों की समस्या का समाधान करायेंगे ?

(घ) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री पवन कुमार सिंह 1 — उप मुख्य मंत्री

1-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-महोली के ग्राम-मढिया में राजेश के मकान से हरिलाल के मकान तक की दूरी जो लगभग 150 मी0 है, का मार्ग अत्यन्त खराब है, जिससे बरसात के दिनों में ग्रामीणों को बहुत अधिक समस्या होती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 2 — उप मुख्य मंत्री

2-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-खैराबाद के ग्राम पंचायत-कनवाखेड़ा में रायल ग्रीन सिटी कनवाखेड़ा से मधवापुर रोड तक की दूरी जो लगभग 100 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों के आवागमन की समस्या बनी रहती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 3 — उप मुख्य मंत्री

3-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा की ग्राम पंचायत-दुलारपुर के ग्राम-गिरधरपुर में पक्की रोड से बलराम के घर तक की दूरी जो लगभग 225 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों के आवागमन की समस्या बनी रहती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का निर्माण करायेंगे ?

	(ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री पवन कुमार सिंह 4	4-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा की ग्राम पंचायत-दुलारपुर के ग्राम-नारायणपुर में इण्टरलॉकिंग से राजकुमार के घर तक की दूरी जो लगभग 250 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों के आवागमन की समस्या बनी रहती है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि प्रदेश में नरेगा के तकनीकी सहायकों के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उनका बकाया ई0पी0एफ0 का भुगतान कराया जाता है ? (ख) यदि हाँ, तो जनपद गोरखपुर के ब्लाक पिपरौली में वित्तीय वर्ष 2023 से 2025 में सेवानिवृत्त हुए कितने तकनीकी सहायकों (नरेगा) के ई0पी0एफ0 का भुगतान लम्बित है ? (ग) उक्त का भुगतान कब तक करायेंगे ? (घ) क्या उपरोक्त से सम्बन्धित अद्यतन आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मिर्जापुर के ब्लाक मझवां के ग्राम करसड़ा (सगरा) में नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत नल द्वारा पानी सप्लाई का लाभ पूरे करसड़ा (सगरा) ग्राम के निवासियों को हो रहा है ? (ख) यदि पानी सप्लाई नहीं हो रही है, तो क्यों ? (ग) क्या जनहित की उक्त समस्या के दृष्टिगत शीघ्र पानी की सप्लाई चालू करायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	जल शक्ति मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जिला-मिर्जापुर के ग्राम करसड़ा (सगरा), पोस्ट-कछवाँ में	उप मुख्य मंत्री

माता शीतला मन्दिर के पास के पुलिया से लेकर राहुल कुमार S/O स्व0 राजेश कुमार (ट्यूबवेल ऑपरेटर) के घर तक पुलिया/नाला स्थित है ?

(ख) क्या वर्तमान में उक्त नाला चोक/पट गया है ?

(ग) यदि नाला है, तो गर्मी के दिनों में वर्षा होने के उपरान्त जलभराव के कारण ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है ?

(घ) क्या जनहित की उक्त समस्या का निदान करायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह
8

8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला की ग्राम पंचायत डलमऊ के ग्राम उसमैलापुर में राकेश के घर से सुन्दर के घर तक की दूरी जो लगभग 350 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह
9

9-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला की ग्राम पंचायत डलमऊ के ग्राम उसमैलापुर में इण्टरलॉकिंग से भगौती देवी के मंदिर तक की दूरी जो लगभग 250 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों व श्रद्धालुओं को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह
10

10-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला की ग्राम

उप मुख्य मंत्री

पंचायत कोरार के ग्राम कोरार में प्राथमिक विद्यालय से पप्पू मास्टर के घर तक की दूरी जो लगभग 180 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों व विद्यालय के छात्रों को आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 11 — 11-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतॉंव के ग्राम सभा किलौली में रायबरेली-कानपुर रोड से कौशल मौर्य के मकान तक की इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण करायेंगे ? — पंचायती राज मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 12 — 12-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-गाजीपुर के ब्लाक मनिहारी, परगना सादियाबाद, तहसील जखनियाँ की ग्राम सभा धुरेहरा में रामवृक्ष के घर से झिंगुरीराम के घर तक खड़न्जा बनाये जाने एवं मरम्मत के कार्य का प्रस्ताव पारित हो चुका है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या गाटा संख्या-368 आबादी के मार्ग पर अवैध अतिक्रमण कर उक्त ग्राम सभा के मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा करके मार्ग की चौड़ाई को कम कर दिया गया है ?

(ग) क्या उक्त ग्राम सभा के मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराने की जनहित में कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) क्या उक्त प्रकरण की जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 13 — 13-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-एलिया के ग्राम पंचायत-नेरीकलां में अयोध्या सिंह के मकान से नेरीकलां मोड़ तक की दूरी जो लगभग 200 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों के आवागमन की समस्या बनी रहती है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 14

14-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-बिसवां के ग्राम पंचायत-मजरा-सरैया में जियालाल के खेत से माता रानी के दरबार तक की दूरी जो लगभग 500 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन की समस्या बनी रहती है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 15

15-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के ग्राम पंचायत-बलसिंहपुर के मजरा मुमताजपुर में डामर रोड से विजय सिंह के घर तक की दूरी जो लगभग 120 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों के आवागमन की समस्या बनी रहती है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 16

16-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के ग्राम पंचायत-कोरार के मजरा कलिमापुर में रामचन्द्र के घर से भुन्नी के घर तक की दूरी जो लगभग 190 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों के आवागमन की समस्या बनी रहती है ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 17	17-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के ग्राम पंचायत कोरार के गांव कोरार में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से हरेश के घर तक की दूरी जो लगभग 90 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों के आवागमन में समस्या बनी रहती है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 18	18-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड बिसवां के ग्राम पंचायत-अशरफपुर, मजरा-जगन्नाथपुर में सटल्लू कश्यप के घर से शारदा नहर हरदेव लाल बाबा के मन्दिर तक की दूरी जो लगभग 300 मी0 हैं, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन की समस्या बनी रहती है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 19	19-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जालौन के विकास खण्ड-कुठौन्द, ग्राम पंचायत-कुतुलूपुर, ग्राम-जमलापुर ध्यान में किस गाँव की पानी की टंकी से जलापूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है ? (ख) क्या उक्त पानी की टंकी से जलापूर्ति के अन्तर्गत ग्राम सभा-जमलापुर ध्यान भी आता है ? (ग) यदि हाँ, तो उक्त ग्राम सभा में कितने घरों में पानी की सप्लाई की जा रही है ? (घ) यदि नहीं, तो उक्त ग्राम सभा में कब तक पानी की सप्लाई चालू करायेंगे ?	जल शक्ति मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 20	20-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गाजियाबाद के थाना-मुराद नगर में दिन दहाड़े लोगों के साथ लूट-पाट करने वालों के विरुद्ध एफ0आई0आर0	मुख्य मंत्री

नं0 0020, दिनांक 17 जनवरी, 2026 को पंजीकृत की गयी है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या लूट-पाट करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी कराते हुए पीड़ितों के लूट का समान बरामद कर लिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों, कब तक लूट-पाट करने वालों को गिरफ्तार करते हुए लूट का समान बरामद करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 21	21-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के ब्लाक-सकरन साण्डा मुख्यालय में सार्वजनिक पार्क न होने से क्षेत्रीय नागरिकों, बच्चों व बुजुर्गों को मनोरंजन, व्यायाम एवं सामाजिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नही हो रही है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु ब्लाक सकरन साण्डा मुख्यालय में सार्वजनिक पार्क का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 22	22-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत कमलापुर में सीतापुर हाई-वे से अरविन्द पाण्डे के मकान तक की दूरी जो लगभग 200 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे लोगों को आवागमन की समस्या बनी रहती है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 23	23-[अन्तरित]	
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 24	24-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई में विरासत के शस्त्र लाइसेंस के कितने आवेदन दिनांक 20 जनवरी, 2026 तक स्वीकृति हेतु लम्बित हैं ? (ख) क्या उक्त का विवरण नाम पते सहित सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री

(ग) सरकार की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर विरासत के लाइसेंस कब तक निर्गत करा दिए जाएंगे ?

(घ) यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 25 — उप मुख्य मंत्री

25-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-सिधौली, सीतापुर में ग्राम खरवालिया के क्षेत्र पंचायत सिधौली, सीतापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य योजना में जो लम्बाई-150 मीटर एवं स्वीकृत बजट-7.20 लाख रुपये के अनुसार कार्यदायी संस्था के द्वारा मानक व मेवालाल के घर से जगदीश के घर तक स्वीकृत कार्य योजना (वास्तविक लम्बाई 80 मीटर) के अन्तर्गत नाला निर्माण कार्य नियमानुसार पूर्ण नहीं कराया गया है ?

(ख) क्या उक्त सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण को हटाते हुये नाले का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल बिहारी यादव 26 — मुख्य मंत्री

26-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या 40019025034067 जो कि जनपद-देवरिया, तहसील-देवरिया, गाटा संख्या-224, रकबा 27 डिसमिल (0.109 हेक्टेयर) भूमि में हुई लिपिकीय त्रुटि को दूर कर सम्पूर्ण भाग को एक भाग में करा दिया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 27 — उप मुख्य मंत्री

27-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रेवान में भागूपुरवा गुरुद्वारा से सी0सी0 रोड तक जाने वाला 300 मी0 सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों, श्रद्धालुओं एवं आम-जनमानस को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 28	28-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-बिसवां के अन्तर्गत ग्राम सभा-नसीरपुर अन्दूपुर में डामर रोड से छंगा गौतम के घर से सी0सी0 रोड तक की दूरी जो लगभग 600 मीटर है, का मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों एवं आम जनमानस को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु इण्टरलॉकिंग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 29	29-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-संकरन के अन्तर्गत ग्राम सभा-रुद्रपुर कुटी से बोहारा सम्पर्क मार्ग तक की दूरी जो लगभग 320 मीटर है, का मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों के आवागमन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं ? (ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु इण्टरलॉकिंग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 30	30-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में नेपालपुर से रमपुरवा गाँव तक जाने वाला लगभग 300 मीटर का मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, जिससे ग्रामीणों, किसानों एवं स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 31	31-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत खुर्रमपुर मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद के ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, अजबरपुर मंगावली, रावली रोड का विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में है, जिस कारण कभी	बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

भी कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है, जिससे तत्काल उक्त विद्यालय भवन की मरम्मत कराने/पुनः निर्माण कराने/साज-सज्जा कराया जाना समीचीन होगा ?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त विद्यालय भवन की मरम्मत/पुनः निर्माण/साज-सज्जा करा दी जायेगी ?

(ग) क्या उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 जोकि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
32

32-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-01-2026 जो मुख्य मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को सम्बोधित तथा जनपद-सहारनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ?

बेसिक शिक्षा
राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर जाँच की माँग की गयी है तथा उक्त जाँच किस स्तर से करायी गयी एवं जाँचोपरान्त क्या निष्कर्ष निकले ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
33

33-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि माह दिसम्बर, 2008 से दिनांक 21 सितम्बर, 2015 तक पदोन्नति प्राप्त प्राथमिक शिक्षकों को न्यूनतम वेतन 17140.00 (ग्रेड वेतन 4600 का न्यूनतम वेतन 12540 अर्थात् 4600+12540=17140.00) से वंचित कर दिया गया है ?

बेसिक शिक्षा
राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या शासनादेश दिनांक 09 जून, 2014 में विकल्प चुनने का अवसर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से विस्तारित करके शासनादेश निर्गत तिथि दिनांक 09 जून, 2014 करने पर विचार करेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
34

34-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई की गर्रा नदी पर ग्राम गोविन्दपुर, थाना-लोनार के अन्तर्गत बाढ़ से होने वाले कटाव को रोकने के लिए कार्य योजना नाबार्ड को स्वीकृति हेतु कब प्रेषित की गयी ?

जल शक्ति मंत्री

(ख) उक्त परियोजना के लिए नाबार्ड से स्वीकृति कब प्राप्त हुयी ?

(ग) क्या परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(घ) जनहित में उक्त कार्य कब तक पूर्ण करायेंगे ?

डा0 मान सिंह यादव 35	35-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-महोबा में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में किये गये कार्यों के भुगतान हेतु सम्बन्धित फर्मों द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 को प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धितों का भुगतान करा दिया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	जल शक्ति मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 36	36-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बनारस, आजमगढ़ व मिर्जापुर मण्डल में राजस्व संहिता की धारा-24 के अन्तर्गत वाद (मुकदमे) उप जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किये गये हैं ? (ख) कितने मुकदमों का निस्तारण किया गया ? (ग) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 37	37-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बनारस, मिर्जापुर व आजमगढ मण्डल में वर्ष 2025 में दिनांक 01 जनवरी, 2025 से 20 जनवरी, 2026 तक धारा-107 के अन्तर्गत शान्ति भंग के कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं ? (ख) कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ है तथा कितने मुकदमे अवशेष हैं ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री आशुतोष सिन्हा 38	38-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित प्रश्न संख्या-2 के भाग 'ख' के उत्तर में कहा गया	पंचायती राज मंत्री

था कि जनपद-जौनपुर के विकास खण्ड व तहसील बदलापुर के ग्राम पंचायत ऊदपुर गेल्हवा (दाऊदपुर) में रामनयन शुक्ल के घर के समीप हनुमान जी के मन्दिर के पास हाईमास्ट लाइट लगाने में रुपया 5.60 लाख का व्यय होना अनुमानित है ?

(ख) क्या उक्त कार्य कराये जाने का प्रस्ताव आगामी वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2025-2026 में सम्मिलित कर अग्रिम कार्यवाही करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त कार्य करा दिया जायेगा ?

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मानननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत शहीद भगत सिंह वार्ड जोन-7, वन्दना विहार कालोनी तकरोही लखनऊ में श्री रतनलाल के घर के सामने से श्री संजय कुमार भास्कर के घर तक क्षतिग्रस्त/टूटी हुई रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत शहीद भगत सिंह वार्ड जोन-7, वन्दना विहार कालोनी तकरोही लखनऊ में श्री रतनलाल के घर सामने से श्री संजय कुमार भास्कर के घर तक क्षतिग्रस्त/टूटी हुई रोड का निर्माण कार्य कराये जाने एवं इस रोड पर बरसात के दिनों में गन्दा पानी एवं कीचड़ हो जाने से आम जन-मानस एवं विद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं एवं आये दिन दुर्घटना होती रहती है। जिससे निजात पाने हेतु हम सब प्रार्थीगण द्वारा नगर आयुक्त, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र दिये गये है। जिला स्तर पर कई बार से प्रयास किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है ।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत शहीद भगत सिंह वार्ड जोन-7, वन्दना विहार कालोनी तकरोही लखनऊ में श्री रतनलाल के घर के सामने से श्री संजय कुमार भास्कर के घर तक क्षतिग्रस्त/टूटी हुई रोड का निर्माण कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-नगर निगम, जनपद-लखनऊ, जोन-7 के अन्तर्गत कंचन बिहारी मार्ग, कंचन नगर, मोहम्मदपुर खत्री, कल्याणपुर, वार्ड-शंकरपुरवा प्रथम (वार्ड नं0-92) में मौर्या कैटरर्स के घर के सामने से भुंइयन देवी मन्दिर (मन्दिर मार्ग) तक क्षतिग्रस्त/टूटी हुई रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण नगर निगम लखनऊ, जोन-7, के अन्तर्गत कंचन बिहारी मार्ग, कंचन नगर, मोहम्मदपुर खत्री, कल्याणपुर, वार्ड-शंकरपुरवा प्रथम (वार्ड नं0-92) में मौर्या कैटरर्स के घर के सामने से भुंइयन देवी मन्दिर (मन्दिर मार्ग) तक क्षतिग्रस्त/टूटी हुई रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने एवं इस रोड पर बरसात के दिनों में गन्दा पानी एवं कीचड़ हो जाने से आम जन-मानस एवं विद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं एवं आये दिन दुर्घटना होती रहती है। जिससे निजात पाने हेतु हम सब प्रार्थीगण द्वारा नगर आयुक्त लखनऊ को प्रार्थना-पत्र दिये गये है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि नगर निगम, लखनऊ, जोन-7, के अन्तर्गत कंचन बिहारी मार्ग, बिहारी मार्ग, कंचन नगर, मोहम्मदपुर खत्री, कल्याणपुर, वार्ड-शंकरपुरवा प्रथम (वार्ड नं0-92) में मौर्या कैटरर्स के घर के सामने से भुंइयन देवी मन्दिर (मन्दिर मार्ग) तक क्षतिग्रस्त/टूटी हुई रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के कस्बा मैगलगंज क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-लखीमपुर खीरी, कस्बा मैगलगंज क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने एवं एक प्रमुख कस्बाई एवं व्यापारिक केन्द्र है, जहाँ की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कस्ता, मितौली, फत्तेपुर, औरंगबाद, बरबर, जंगबहादुरगंज, जहानीखेड़ा, नेरी, बरगांवा मूडा आदि गांवों/कस्बा/नगरों में उच्च शिक्षा के राजकीय संस्थान उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण क्षेत्र के गरीब पिछड़े एवं दलित छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर स्थित लखीमुपर, शाहजहांपुर या सीतापुर जनपद के राजकीय महाविद्यालयों तक जाना पड़ता है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा अत्यधिक प्रभावित होती है। क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को देखते हुए कस्बा मैगलगंज में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के कारण क्षेत्र के युवाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं, किन्तु सफलता नहीं मिल सकी है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है ।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-लखीमपुर खीरी, कस्बा मैगलगंज क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद बस्ती, तहसील-हरैया, ग्राम-इटबहरा के (गाटा संख्या-299 चक मार्ग) मार्ग से अवैध कब्जा हटवाकर चक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद बस्ती, तहसील-हरैया, ग्राम-इटबहरा के (गाटा संख्या-299 चक मार्ग) मार्ग से अवैध कब्जा हटवाकर चक मार्ग का निर्माण कराये जाने एवं ग्राम पंचायत-गाटा संख्या-299 का एक चक है, इसके पूर्व से एक नाली व चक मार्ग है, जिसे गांव के कुछ लोगों ने चक मार्ग को अपने खेत में मिलाकर चक मार्ग की भूमि पर पेड़ लगाकर तथा कँटीले तारों को लगाकर कब्जा कर लिया है। हम सब पिछले कई वर्षों से चक मार्ग से अवैध कब्जा हटाते हुये चक मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार से प्रयास किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद बस्ती, तहसील-हरैया, ग्राम-इटबहरा के (गाटा संख्या-299 चक मार्ग) मार्ग से अवैध कब्जा हटवाकर चक मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड-ठेकमा, ग्राम-बरवा, पो0-गोमाडिह, तहसील-लालगंज में जलालपुर रोड से हनुमान यादव के घर होते हुए सुरेन्द्र सिंह के घर तक 400 मी0 आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड-ठेकमा, ग्राम-बरवा, पो0-गोमाडिह, तहसील-लालगंज में जलालपुर रोड से हनुमान यादव के घर होते हुए सुरेन्द्र सिंह के घर तक रोड न होने के कारण आम जनता को आवागमन में बहुत समस्या हो रही है जिसके लिए वहाँ के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया जा चुका है किन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी है जिसके कारण ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि जिले पर धन भी उपलब्ध है ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-ठेकमा, ग्राम-बरवा, पो0-गोमाडिह, तहसील-लालगंज में जलालपुर रोड से हनुमान यादव के घर होते हुए सुरेन्द्र सिंह के घर तक 400 मी0 आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड मेंहनगर के ग्राम पंचायत-लौदह इमादपुर, पोस्ट-दामा में श्री घुरहू विश्वकर्मा के घर से श्री समर बहादुर के खेत तक नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-मेंहनगर के ग्राम पंचायत-लौदह इमादपुर, पोस्ट-दामा में श्री घुरहू विश्वकर्मा के घर से श्री समर बहादुर के खेत तक नाला बनाये जाने एवं बरसात के मौसम में जलभराव की स्थिति बनी रहती है। जिससे ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सेक्रेटरी व जिले पर अवगत कराये जाने के बावजूद कोई व्यवस्था नही की गयी। जिससे आम जनता को आवागमन में बहुत समस्या हो रही है। जिसके लिए वहां के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार से प्रयास किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है ।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-मेंहनगर के ग्राम पंचायत-लौदह इमादपुर, पोस्ट-दामा में श्री घुरहू विश्वकर्मा के घर से श्री समर बहादुर के खेत तक नाला बनाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद झांसी विकास खण्ड मऊरानीपुर के ग्राम पंचायत चुरारी मजरा पिपरोखर में प्राथमिक विद्यालय से सिद्धबाबा मन्दिर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि हम समस्त प्रार्थीगण जनपद-झांसी विकास खण्ड मऊरानीपुर के ग्राम पंचायत चुरारी मजरा पिपरोखर में प्राथमिक विद्यालय से सिद्धबाबा मन्दिर तक मुख्य सड़क लगभग 300 मी0 बेहद खराब है ग्रामवासियों के बच्चों को विद्यालय आने-जाने में काफी समस्या होती है, सड़क निर्माण के लिए जिला स्तर कई बार प्रयास किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध हैं।

अतः जनपद-झांसी विकास खण्ड मऊरानीपुर के ग्राम पंचायत चुरारी मजरा पिपरोखर में प्राथमिक विद्यालय से सिद्धबाबा मन्दिर तक लगभग 300 मी0 सड़क निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी विकास खण्ड बंगरा के ग्राम पंचायत देवरीसिंहपुर में गायत्री माता मन्दिर के गेट से पेट्रोल पम्प तक नाला का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि हम समस्त प्रार्थीगण जनपद झांसी विकास खण्ड बंगरा के ग्राम पंचायत देवरीसिंहपुर में गायत्री माता मंदिर के गेट से मेन रोड वाले पेट्रोल पम्प के पास वाली पुलिया तक लगभग 700 मी0 तक

जलभराव की विकट समस्या है, नाला न होने से जल भराव के कारण श्रद्धालुओं को मन्दिर आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है नाले के निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः जनपद-झांसी विकास खण्ड बंगरा के ग्राम पंचायत देवरीसिंहपुर में गायत्री माता मन्दिर के गेट से पेट्रोल पम्प लगभग 700 मी0 तक नाला का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ञ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत स्थित वार्ड नं0-20 हैदरगंज तृतीय वार्ड में बीबीखेड़ा गोकुलग्राम आवास विकास में गुप्ता किराना स्टोर से प्रीति के मकान तक 250 मी0 सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि हम समस्त प्रार्थीगण नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत स्थित वार्ड नं0-20 हैदरगंज तृतीय वार्ड में बीबीखेड़ा गोकुलग्राम आवास विकास में गुप्ता किराना स्टोर से प्रीति के मकान तक 250 मी0 सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया है। सड़क न होने के कारण प्रार्थीगणों को आने-जाने का अनुरोध किया है तथा आये दिन दुर्घटना होती रहती है। जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध है ।

अतः नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत स्थित वार्ड नं0-20 हैदरगंज तृतीय वार्ड में बीबीखेड़ा गोकुलग्राम आवास विकास में गुप्ता किराना स्टोर से प्रीति के मकान तक 250 मी0 सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ट'

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूची

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	सर्वश्री लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरण पाल कश्यप, (डॉ0) मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने तथा प्रदेश में हो रही हत्या, अपहरण, साइबर क्राइम डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-शिक्षा के गिरते हुए स्तर सुधारने के सम्बन्ध में, 3-संविधान में नौकरियों में एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 को दिये गये आरक्षण का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में, 4-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 5-शिक्षण संस्थाओं पर बिजली की दर व्यवसायिक रेट से ज्यादा लगाये जाने के सम्बन्ध में, 6-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में रुके विकास कार्य को प्रारम्भ करने के उपाय के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली की समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में, 10-शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में, 11-चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 व 12 को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

12-मदरसों में आधुनिक शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

13-मदरसा विद्यालयों की जाँच विभिन्न विभागों से कराने के नाम पर विद्यालयों का उत्पीड़न बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

14-आश्रम पद्धति विद्यालयों के संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

15-विषय विशेषज्ञों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

16-राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रोन्नति वेतनमान व एरियर का भुगतान की पत्रावलियों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में,

18-शिक्षामित्रों का मानदेय महंगाई के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में,

19-बोर्ड परीक्षा केन्द्र की नीति में सभी बच्चियों को बाह्य केन्द्र की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

20-शीतकालीन अवकाश में ग्रीष्मकालीन विशेष अवकाश में बच्चों के साथ अध्यापकों को भी अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में,

21-शिक्षण सत्र पूर्व की भाँति जुलाई से जून की पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ तथा उसमें आरक्षण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

23-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय संस्थाओं को एक समान अंक दिया जाय। राजकीय, एडेड, वित्त विहीन का भेदभाव समाप्त किया जाय, जैसे-राजकीय को 50 अंक, एडेड को 40 अंक और वित्त विहीन विद्यालय को 20 अंक निर्धारित हैं,

24-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय विद्यालयों का संसाधन एवं मुख्य सड़कों को आधार बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए केन्द्र व्यय दिये जाने के सम्बन्ध में,

26-माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में दिये गये प्राविधानों के मानक के अनुसार एडमीशन व क्लास परमीशन, अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार एडमीशन लिये जाने के सम्बन्ध में,

27-एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्राथमिक विद्यालयों में N.C.E.R.T. पुस्तकें लागू किये जाने तथा पुस्तकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

29-शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के शिक्षकों के सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में,

30-बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(ग) का अनुपालन प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

31-पूर्ववर्ती सरकार की भॉति जिनके पास रहने को मकान नहीं है उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान (एक लाख बीस हजार से बढ़ाकर तीन लाख पचास हजार) मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,

32-सरकार द्वारा नये धान गेहूँ खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,

33-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब का 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

34-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

35-छात्र-छात्राओं को लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

36-ओला वृष्टि व वर्फ बारी से नष्ट हुयी फसलों की क्षतिपूर्ति के बारे में,

37-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

38-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति, और बुनकरों को किसानों की भॉति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

39-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गढ्ढा मुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के सम्बन्ध में,

42-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या रोके जाने के सम्बन्ध में,

43-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

44-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

45-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखाकर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

46-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

47-सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश के बाद भी मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराये जाने तथा नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

48-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

49-प्रदेश के अधिवक्ताओं को भत्ता दिये जाने तथा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार कौंसिल उ0प्र0 को सरकार द्वारा बजट में कमी किये जाने के सम्बन्ध में,

50-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

51-अल्प संख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

52-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

53-राज्य कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण बन्द किये गये भत्ते आदि को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

54-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

55-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है,

56-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर की आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,

57-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

58-बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

59-छात्र यूनियनों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

60-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

61-किन्नर समाज कल्याण के बारे में,

62-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

63-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में।”

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
2	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :-

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमावली में पूर्व की भाँति सेवा शर्तों में धारा-12, धारा-18, धारा-21 को प्रभावी किया जाना।

2-प्रदेश की स्व-पोषित (वित्तविहीन) शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में सेवा-शर्तों से आच्छादित किया जाना तथा प्रचलित पूर्ण वेतन का भुगतान जो समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त पर आधारित है।

3-विज्ञापन के आधार विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना।

4-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों का कोरोना अवधि रोकी गई मंहगाई भत्ते की किश्ते तथा भत्तो को वापस अभी तक न दिया जाना।

5-वित्तविहीन विद्यालयों अध्ययनरत 06 वर्ष से 14 वर्ष तक छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके प्रदान किया जाय।

6-व्यवसायिक शिक्षकों को विनियमित किया जाय।

7-माध्यमिक विद्यालयों मे एल. टी. ग्रेड के शिक्षकों को सहायक प्रवक्ता पद दिया जाय।

8-गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु हाईस्कूल मे भी इण्टर कक्षाओं की तरह प्रयोगात्मक परीक्षा कराया जाय ।

9-सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना।

10-विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिनियम, 2016 की धारा-8 को विलुप्त किया जाय।

11-वर्ष 2000 के पूर्व शेष बचे तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करते हुये पेंशन की सुविधा अनुमन्य की जाये ।

12-वर्ष 2000 से अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाना।

13-प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षक और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मान्य करना।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

14-प्रदेश में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशव्यापी संघर्ष चल रहा है । शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रेट लिस्ट जारी करके खुलासा किया गया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार की अनदेखी किया जाना।

15-01 अप्रैल, 2005 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ अनुमन्य किया जाना अर्थात पुरानी पेंशन की बहाली।

16-गुणवत्तापरक शिक्षा के हित में कम्प्यूटर शिक्षक तथा व्यावसायिक शिक्षकों के पद सृजित किया जाना तथा उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक के समान कार्य के लिये समान वेतन अनुमन्य किया जाना, रूप में।

17-महिला विद्यालयों में प्रबन्धकों के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने और विद्यालय समय में प्रबन्धक का प्रवेश और उनके निरीक्षण की रोक की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

18-छात्र-छात्राओं के लिये लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में।

19-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में।

20-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में माननीय सदन के सभी सदस्यों का प्रस्ताव न लिये जाने के सम्बन्ध में।

21-अलीगढ़ मण्डल, चित्रकूट मण्डल, देवीपाटन मण्डल में संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा उप शिक्षा निदेशक के पद को सृजित किया जाना ।

22-प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजनैतिक प्रभावों के कारण महिलाओं के उत्पीड़न और जनसाधारण के प्रति अन्याय के प्रतिदिन होने वाले प्रकरणों की चर्चा।

23-प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जनगणना, बी0एल0ओ0 और निर्वाचन कार्य में लगाने के परिणाम स्वरूप निर्धारित दिवसों अथवा निर्धारित घण्टे का अध्यापन कार्य पूर्ण होने के कारण छात्रों को अपूर्णनीय क्षति के कारण ऐसे कार्यों से मुक्त किया जाना।

24-राजकीय विद्यालयों में पदोन्नति का बाधित होना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति।

25-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण की विधिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		26-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में।
		27-राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।
		28-चयन बोर्ड द्वारा चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने और वेतन पाने में भारी भ्रष्टाचार और घूस पर नियन्त्रण न होना ।
		29-सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानान्तरण नीति की सरल व्यवस्था प्रस्तावित किया जाना तथा महिला शिक्षकों को स्थानान्तरण में विशेष सुविधा प्रदान किया जाना ।
		30-नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के खाते में पूरे सेवा-काल का राज्यांश जमा किया जाना ।
		31-कोरोना अवधि में मृतक शिक्षकों के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर सेवायोजन किया जाय तथा ऐसे शिक्षक परिवारों को ग्रेच्युटी की सुविधा भी प्रदान किया जाना।
		32-सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 14 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य सुविधायें प्रदान किया जाना।
		33-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
		34-माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 में दिये गये प्राविधानों के मानक के अनुसार एडमिशन व क्लास परमीशन, अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार एडमिशन लिये जाने के सम्बन्ध में।
		35-बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12 (ग) का अनुपालन प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
		36-विषय विशेषज्ञों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
		37-मदरसों में आधुनिक शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में
		38-मदरसा विद्यालयों की जाँच विभिन्न विभागों से कराने के नाम पर विद्यालयों की उत्पीड़न बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।
		39-सहायता प्राप्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थगित व्यवस्था को समाप्त कर नियुक्ति सुनिश्चित करना तथा शिक्षण

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		संस्थाओं में आउटसोर्सिंग की दूषित प्रणाली समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में। 40-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में। 41-प्रदेश में विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे किये जाने के सम्बन्ध में। 42-सभी प्रकार के विद्यालयों में निर्बल आय वर्ग के छात्रों को पुस्तकों आदि की व्यवस्था सुलभ करने हेतु अनुदान अथवा छात्रवृत्ति स्वीकार करने के सम्बन्ध में। 43-बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में। 44-सभी स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना । 45-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में। 46-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में। 47-किसानों को खाद बीज व पानी की उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।